(58)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

पुर्नविलोकन प्रकरण कमांक–1400–दो/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–10–2016 पारित द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर का प्रकरण क्रमांक 2751–दो/2013/निगरानी

.....

1– जगन्नाथ आ0 श्री सुखराम

2– प्रेमसिंह आ0 श्री सुखराम

निवासीगण–ग्राम गोदी तहसील आष्ठा

जिला–सीहोर(म0प्र0)

————आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती रेशम बाई पत्नी श्री गुलाब सिंह पुत्री श्री रामसिंह

निवासी–ग्राम शेखपुरा तहसील काला पीपल,

जिला–शाजापुर(म0प्र0)

————अनावेदिका

.....

श्री प्रेमसिंह ठाकुर, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17/7/17 को पारित)

यह पुर्नविलोकन म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–10–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम गोदी स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा क्र0 333/1 रकबा 0.26 एकड़ भूमि सिद्धनाथ से क्रय करने के पश्चात आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में नामांतरण की कार्यवाही की गई। नामांतरण की कार्यवाही के दौरान देवकरण एवं भूरी बाई द्वारा नामांतरण के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत की गई। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत आपत्तियों पर नियमानुसार विचार करने के उपरांत आदेश दिनांक 24.08.2009 के द्वारा उक्त भूमि पर आवेदकगण का नामांतरण किये जाने का आदेश पारित किया । तहसील न्यायालय द्वारा कि गई नामांतरण की कार्यवाही के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी आष्टा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जो आदेश दिनांक 09.03.2011 द्वारा निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा के आदेश दिनांक 09.03.2011 से परिवेदित होकर द्वितीय अपील न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई, जहॉ प्रकरण क्रमांक 419/अपील/2010–11 पर पंजीबद्ध किया गया एवं दिनांक 07.08.2012 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा द्वारा पारित आदेश निरस्त किया गया एवं अनावेदिका के हित में आदेश पारित किया । इसी आदेश के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक निगरानी 2751–दो/2013 पर दर्ज किया जाकर दिनांक 25.10.2016 को निरस्त किया गया। इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा पुर्नविलोकन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि विवादित भूमि आवेदकगण ने पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा क्रय की गई तथा तहसील न्यायालय ने प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करने के उपरांत राजस्व रिकॉर्ड में आवेदकगण का नाम दर्ज किया गया है तथा इस संबंध में अनावेदिका एवं अन्य भूमिस्वामियों को कोई आपत्ति नहीं है। प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में अनावेदिका द्वारा मननीय व्यवहार न्यायालय के समक्ष भी प्रकरण प्रस्तुत किया गया था । उभयपक्षों के मध्य प्रश्नाधीन भूमि के सम्बध में समझौता होने के कारण व्यवहार न्यायालय द्वारा समझौते के आधार पर अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को समाप्त कर दिया गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उभयपक्षों के मध्य प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में समझौता हो जाने के कारण आवेदकगण एवं अनावेदिका द्वारा इस न्यायालय में उपस्थित होकर

व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 3 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर समझौते के आधार पर प्रकरण समाप्त करने का अनुरोध किया गया था । आवेदकगण ने उक्त भूमि क्रय करने के उपरांत कब्जा भी प्राप्त कर लिया था, किन्तु प्रश्नाधीन भूमि पर वर्तमान में आवेदकगण का नाम दर्ज नहीं होने के कारण आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि का भलिभांति उपयोग नहीं कर पा रहे है। इस न्यायालय के समक्ष समझौते के आधार पर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है, जिससे आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि कां उपयोग भलिभांति कर सके। अंत में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा पुर्नविलोकन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदिका सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों पर विचार किया तथा इस न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश एवं प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि सर्वे नं0 333/1 रकबा 0.26 एकड़ सिद्धनाथ सिंह, शीतल सिंह, अचरज बाई, भूरीबाई, रमेश पुत्र एवं पुत्री रामसिंह के संयुक्त खाते की थी। विवादित भूमि आवेदकगण ने सिद्धनाथ सिंह से पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा क्रय की थी, जिस पर तहसील न्यायालय ने प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करते हुये नामांतरण का आदेश पारित किया। जहां तक आवेदक अभिभाषक द्वारा उठाये गये तर्क का प्रश्न है कि प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में आवेदकगण एवं अनावेदिका द्वारा उपस्थित होकर माननीय व्यवहार न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 3 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर समझौते के आधार पर प्रकरण समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया था जिस पर विचार नहीं किया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 39–ए/2010 पर पंजीबद्ध किया जाकर व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 3 के तहत आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये दिनांक 22.09.2015 को राजीनामा आवेदन पत्र के आधार प्रकरण समाप्त किया गया है। प्रकरण में पूर्व में ही व्यवहार न्यायालय में समझौते के आधार पर प्रकरण का निराकरण हो चुका था, किन्तु व्यवहार न्यायालय के संबंध में इस न्यायालय में आदेश पारित करने के पूर्व विचार में नहीं लिया है। आवेदक अभिभाषक

ने तर्क में बताया है कि इस न्यायालय में व्यवहार न्यायालय में हुये समझौते के आधार पर प्रकरण के निराकरण का अनुरोध किया गया था, परन्तु त्रुटिवश इस बिन्दु का निराकरण करने में छुट गया । ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दु को पुनः विचार क्षेत्र में लेकर आदेश पारित किया जाना उचित होगा ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.10.2016 को निरस्त करते हुये, मूल निगरानी को पुनः सुनवाई में लिया जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,